कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जबलपुर (म.प्र.)

जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2020

कं./ 🖟 🖒 🖒 अगईडीएसपी/2019-20 /कलेक्टर/स्टेनो

// आदेश //

पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है । पूर्व में जारी आदेशों के माध्यम से कार्यालय द्वारा उक्त के संबंध में कफ्यूं के आदेश जारी किये गये हैं । संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएें म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक /आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है । म.प्र.शासन लोक मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक /एफ 10-02/202017 मेडी-2, भोपाल दिनांक 07.03.2020 के परिपेक्ष्य में म.प्र. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रं./ प्र.स./ स्वास/ सत्रह/मेडि-३/ 596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के Section 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके है।

20 के द्वारा घोषित किये गए 09 कन्टेनमेन्ट जोन के साथ 03 अतिरिक्त जोन घोषित करना आवश्यक हो गया है। अतः, मैं भरत यादव, कलेक्टर एवं जिला जबलपुर की वर्तमान स्थिति को हष्टिगत पूर्व में कार्यालयीन आदेश क्रं. 465/आईडीएसपी/2019-20/कलेक्टर/स्टेनो जबलपुर दिनांक 18 अप्रैल जिला दण्डाधिकारी जबलप्र म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार कन्टेनमेंट ज़ोन घोषित करने का आदेश पारित करता हूं :

18:	Name of the Containment Zone	Ward Name	Ward No	Area Comes in Containment Zone
10	पौडी (जनपद पंचायत मझौती)	पौडी	पौडी	ग्राम पौडी, तहसील मझौली
7	<u>ৰাजनাमठ</u>	त्रिपुरी, सरदार बल्लभ भाई पटेल	3,5	जेडीए कालौजी, नेहरू नगर, नालंद बिहार, केशर बस्ती, शासत्री नगर, न्यू शास्त्री नगर बाजनामठ, बजरंग नगर
12	12 घमापुर (सरकारी कुआ)	आचार्य विनोवा भावे शीतलामाई, सिद्धबाबा वार्ड सर्व पल्ली राधाकृष्णन	44,45,58,	44,45,58, सरकारी कुओं, बाई का बगीचा, प्रेम सागर कालोनी, 48 शीतलामाई, करियापाथर, बाबा टोला, लालमाटी बंगाली कालोनी

उपरोक्त CONTAINMENT ZONE का मानचित्र / MAP इस लिंक पर उपलब्ध है : http://goo.gl/maps/gnRMQAFRRaSnyHB36

2. उपरोक्त कन्टेनमेंट ज़ोन में निम्नानुसार दल गठित किया जाता है:

l s .	CONTAINMENT ZONE का नाम	INCIDENT	POLICE NODAL (TI/CSP)	POLICE NODAL (TI/CSP) NAGAR NIGAM NODAL	HEALTH TEAM NODAL	CONTROL ROOM
10	पौडी (जनपद पंचायत मझौली)	चन्द्रप्रताप गोहल (SDM सिहोरा)	निरीश धुर्वे (TI सिहोरा)	राजीव तिवारी (CEO जनपद पंचायत मझौली)	डॉ. पारस ठाकुर BMO मझौली	आशीष पाठक (CEO स्मार्ट सिटी)
1	11 बाजनामठ	आशीष पाण्डेय (SDM)	रीना पाण्डे (TI तिलवारा)	अंकिता जैन जोनल अधिकारी	डॉ. रंजना बाजपेयी	आशीष पाठक (CEO स्मार्ट सिटी)
12	12 घमापुर	मनीष बस्कले (SDM)	अखिलेश गौर (CSP गोहलपुर)	संजय पाण्डे (ई.ई.नगर निगम)	डॉ. डी.जे.मोहंती	आशीष पाठक (CEO स्मार्ट सिटी)

3 . उपरोक्त दल निम्नानुसार कार्य सम्पादित करेंगे

Is	বন	कार्य का विवरण
1	INCIDENT COMMANDER/ POLICE	 कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्शत आवागमन प्रतिबंधित रखना । समस्त निवासीयों का होम क्वारेंटाईन में रहना सुनिश्चित करना । पूर्व में जारी आदेशों के माध्यम से जो कफ्यूं लगाया गया ह उसका सही तरीके से क्रियानवयन सुनिश्चित करना कंटेनमेंट ऐरिया को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगो का बाहर जाना प्रतिबंधित रखना।
2	НЕАГТН	5. कंटेनमेंट ऐरिया हेतु सी.एम.एच.ओ. द्वारा गठित विशेष आर.आर.टी. जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक

		एपीडिमियोलाजिस्ट,पेथालाजिस्ट, माईकोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टाफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल आफिसर एक पेरामेडिकल स्टाफ, लेब टेकिनशियन व डाक्यूमेंटेशन स्टाफ के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करना। 6. उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाईट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग सुनिश्चित करना। 7. समस्त वाई वार फ्रेटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता - एलएचबी, ए.एन.एम., आशा आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर (एम.पीडब्ल्यु-टीबी
		 समस्त सस्पेक्टंड कस की प्रातादन मानिटारग करना एवं COVID-19 क्ष्मण का का राजावरा कर के। स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना मुनिश्चित करेगें। समस्त COVID-19 संक्रमण के पाजिटीव केस के परिजन, निकट संपर्क को प्रोटोकॉल अनुसार संस्थागत/ होम क्वारेंटाईन करना।
		11. सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल आफिसर /आर आर टी द्वारा परिक्षण किय जान तक एक अलग । यान्हत कमर म आइसालरान न रखा जाना सुनिश्चित करना एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकोल पालन करवाना सुनिश्चित करें।
		12. जिनको होम क्वारेटाईन किया गया है उनका प्रोतीदन फालाअप लगा होगा (विजट या द्रुभाष के माध्यम स) जब तक का सस्पक्टड करा का रिजल्ट निगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पाजिटिव आता है तो, संबंधित के TRUE कान्टेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारेटाईन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।
		13. आगे संक्रमण फैलने से रोक्ने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की काटेक्ट Vs ट्रैकिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वारेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रैकिंग की रिपॉटिंग किया जाना सुनिश्चित करें ।
m	NAGAR NIGAM	14. नगर निगम के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा। 15. कन्टेनमेंट जोन में समस्त आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करना
4	CONTROL ROOM	16. समस्त सस्पेक्टेड केस की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करना एवं COVID-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खासी, गले में दर्द एवं स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेगें।

 17. जिनको होम क्वारेंटाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फालोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केश का रिजल्ट निगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पाजिटिव आता है तो, संबंधित के TRUE कान्टेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारेंटाईन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा। 18. आगे संक्रमण फैलने से रोक्ने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की काटेक्ट Vs ट्रैकिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वारेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रैकिंग की रिपोटिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
--

अतिरिक्त निर्देश

- 1. उपरोक्त समस्त दल मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी COVID19 मार्गदर्शिका के अध्याय 3 एवं 4 में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे।
- समस्त दल प्रत्येक दिन की रिपोर्ट अपर कलेक्टर श्री संदीप जी.आर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार एवं श्री संजीव उईके को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें। 2.

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(भरत्रं यादव

पृ. क्र./ ४९७१ ४/आईडीएसपी/2019-20 /कलेक्टर/स्टेनो

मतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल।

2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।

3. आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र.भोपाल।

4. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

5. पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् ।

6. उप पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर की ओर स्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7. आयुक्त नगर निगम जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

9. म्ख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलप्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।

10. सिविल सर्जन जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

11. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।

12. तहसीलदार, तहसील मझौली की ओर स्चनार्थ ।

13. टी.आई. सिहोरा की ओर सूचनार्थ ।

14. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी विकास खण्ड मझौली की ओर सूचनार्थ ।

15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली जिला जबलपुर

16. सर्व संबंधित की ओर पालनार्थ प्रेषित।

जिला - जबलपुर